Yojna IAS
C-32 Noida Sector-02
Uttar Pardesh (201301)
Contact No. +8595907569
CURRENT AFFAIRS

Date – 28 May 2022

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार

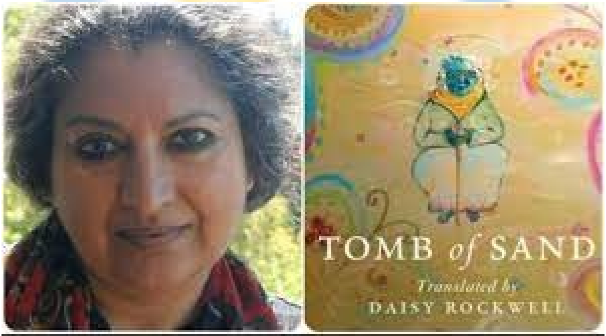

- टॉम्ब ऑफ सैंड' अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय भाषा में लिखी जाने वाली पहली पुस्तक बन गई है।
- मूल रूप से हिंदी में रीत समाधि के रूप में प्रकाशित पुस्तक, लेखक गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई है और डेज़ी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित है।
- यह पुस्तक एक 80 वर्षीय महिला की कहानी बताती है जो अपने पति की मृत्यु के बाद गहरे अवसाद का अनुभव करती है। आखिरकार, वह अपने अवसाद पर काबू पाती है और अंततः विभाजन के दौरान अपने पीछे छोड़े गए अतीत का सामना करने के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला करती है।

Yojna IAS

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार:

- अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रतिवर्ष एक ऐसी पुस्तक को दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो।
- अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में हुई थी।
- इस पुरस्कार का उद्देश्य दुनिया भर से उच्च गुणवत्ता वाले उपन्यासों को अधिक से अधिक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- हालांकि यूके में इसका पहले से ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
- 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि को लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित करके अनुवादकों के महत्वपूर्ण कार्य का जश्न मनाया जाता है।
- प्रत्येक शॉर्टलिस्ट किए गए लेखक और अनुवादक को भी £2,500 मिलते हैं।
- उपन्यास और लघु कथा संग्रह दोनों पात्र हैं।

Swadeep Kumar

YOJNA IAS

मनी स्पाइडर

- आमतौर पर यूरोपीय घास के मैदानों में पाई जाने वाली मनी स्पाइडर को देश में पहली बार वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के मुथंगा रेंज में देखा गया है।

- क्राइस्ट कॉलेज (केरल) के शोधकर्ताओं ने मुथंगा रेंज से कूदने वाली मकड़ियों के समूह से संबंधित एंटी-मिमिकिंग मकड़ियों की भी खोज की है।

मनी स्पाइडर के बारे में:

- मनी स्पाइडर जीनस प्रोसोपोनोइड्स के तहत बौनी मकड़ियों (लिनीफिडे) के परिवार से संबंधित है।
- अब तक दुनिया भर में इस जीनस से संबंधित मकड़ियों की केवल छह प्रजातियों की पहचान की गई है।
- इसे Prosoponoides biflectogynus नाम दिया गया है।
- नर और मादा मनी स्पाइडर आमतौर पर क्रमशः 3 मिमी से 4 मिमी लंबे होते हैं।
- नर और मादा दोनों का रंग गहरा भूरा होता है और अंडाकार पेट पर अनियमित चांदी और काले धब्बे होते हैं।
- उनकी जैतून-हरी टांगों पर कई बारीक काले काँटे होते हैं।
- आठ काले रंग की आंखें दो पंक्तियों में व्यवस्थित हैं।
- मादाएं सूखे पेड़ की टहनियों के बीच त्रिकोणीय जाले बनाती हैं और छोटे कीड़ों को खाती हैं, जबकि नर सूखे पत्तों के नीचे छिपना पसंद करते हैं।
- मादा मकड़ी के जाले में दो या दो से अधिक नर पाए जा सकते हैं।

एंटी-मिमिकिंग स्पाइडर:

- टोक्सियस एल्बोक्लेवस नाम की चींटी-नकल करने वाली मकड़ी।
- वे साल्टिसीडे परिवार से संबंध रखते हैं।
- इस प्रजाति के नर और मादा मकड़ियाँ क्रमशः 4 मिमी और 6 मिमी तक लंबी होती हैं।
- मादाओं के गहरे भूरे रंग के पेट पर सफेद धारियों की एक जोड़ी उन्हें इस समूह की अन्य मकड़ियों (कूदती मकड़ियों) से अलग करती है।

- इस प्रजाति के नरों में भूरे रंग का पेक्टोरल क्षेत्र और सफेद बालों वाला काला वक्ष होता है।
- इन मकड़ियों के उभरे हुए नुकीले हिस्से में सींग के आकार की विशेषताएं होती हैं।
- उनके प्रत्येक पैर के आधार पर एक लंबी रीढ़ मौजूद होती है।

वायनाड वन्यजीव अभयारण्य:

- केरल में स्थित वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (WWS) नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी।
- नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जिसे यूनेस्को द्वारा नामित बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क (2012 में नामित) में शामिल किया गया था।
- इस रिजर्व के तहत अन्य वन्यजीव पार्कों में मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली शामिल हैं।
- 44 वर्ग कि.मी. वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, 10 किमी के क्षेत्र में फैला है, कर्नाटक में नागरहोल और बांदीपुर और तमिलनाडु में मुदुमलाई के बाघ अभयारण्यों से जुड़ा हुआ है।
- काबिनी नदी (कावेरी नदी की एक सहायक नदी) इस अभयारण्य से होकर बहती है।
- यहां पाए जाने वाले वन प्रकारों में दक्षिण भारतीय नम पर्णपाती वन, पश्चिमी तटीय अर्ध-सदाबहार वन और सागौन, नीलगिरी / नीलगिरी और ग्रेवेलिया वन शामिल हैं।
- हाथी, गौर, बाघ, चीता, सांभर, चित्तीदार हिरण, जंगली सूअर, सुस्त भालू, नीलगिरि लंगूर, बोनट मकाक, आम लंगूर, मालाबार विशालकाय गिलहरी आदि यहां पाए जाने वाले प्रमुख स्तनधारी हैं।

Swadeep Kumar

जगन्नाथ पुरी कॉरिडोर

- पुरी में ओडिशा सरकार की महत्वाकांक्षी मंदिर गलियारा परियोजना राजनीतिक विवाद का विषय बन गई है।

पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना:

- जगन्नाथ मंदिर सहित पुरी को एक अंतर्राष्ट्रीय विरासत स्थल बनाने के लिए यह ओडिशा सरकार की पुनर्विकास परियोजना है। हालाँकि इसकी कल्पना वर्ष 2016 में की गई थी, लेकिन इसका अनावरण दिसंबर 2019 में किया गया था।
- इस अंब्रेला प्रोजेक्ट के तहत श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर या श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना के क्षेत्र शामिल हैं।
- परियोजना में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) भवन पुनर्विकास, एक 600 क्षमता वाला श्री मंदिर स्वागत केंद्र, पुरी झील, मूसा नदी कायाकल्प योजना आदि शामिल हैं।
- ओडिशा सरकार ने मंदिर के आसपास के क्षेत्र में सुधार के लिए तीन उद्देश्यों को सूचीबद्ध किया है – मंदिर की सुरक्षा, भक्तों की सुरक्षा और भक्तों के लिए धार्मिक वातावरण का निर्माण।

- सरकार ने पुरी (ABADHA) योजना में बुनियादी ढांचे के विकास और विरासत और वास्तुकला के विकास से संबंधित परियोजना के लिए धन आवंटित किया है।
- आभा योजना में श्री जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए भूमि अधिग्रहण शुल्क/पुनर्वास और सड़क सुधार शामिल हैं।

परियोजना विवाद का विषय क्यों बन गई है?

- विशेषज्ञों और नागरिक समाज के सदस्यों ने 12वीं शताब्दी के मंदिर पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना का हवाला देते हुए खुदाई के लिए भारी मशीनरी के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई।
- मंदिर के चारों ओर निर्माण के लिए उचित अनुमति और अनुमोदन प्राप्त करने के बारे में सवाल उठाए गए थे।
- जगन्नाथ मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक नामित किया गया है और यह एक केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक है।
- मंदिर के 100 से 200 मीटर क्षेत्र के भीतर बड़े पैमाने पर विध्वंस और निर्माण कार्य हो रहा है जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन और सत्यापन) अधिनियम (AMSAR), 2010 द्वारा निषिद्ध है।

प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन और मान्यता) अधिनियम (AMSAR), 2010:

- AMSAR (संशोधन और मान्यता) अधिनियम के अनुसार, संरक्षित क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य प्रतिबंधित है।

- स्मारक के आसपास के 200 मीटर तक के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र कहा जाता है।
- AMSAR अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के तहत वर्ष 2011 में स्थापित राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) की परिधि के भीतर निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र का प्रबंधन करके ASI-संरक्षित साइटों के संरक्षण और संरक्षण का प्रभारी है।
- यदि निर्माण एक विनियमित या निषिद्ध क्षेत्र में किया जाना है तो एनएमए से अनुमति आवश्यक है।
- एएमएसएआर अधिनियम में परिभाषित "निर्माण" शब्द में सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और "जैसी सुविधाओं" का निर्माण शामिल नहीं है।
- इसमें पानी, बिजली की आपूर्ति या "प्रचार के लिए समान सुविधाओं का प्रावधान" शामिल नहीं है।
- इसके अलावा, यदि स्मारक का निर्मित क्षेत्र 5,000 वर्ग मीटर से अधिक है, तो स्मारक के चारों ओर विकास से पहले एनएमए द्वारा एक प्रभाव आकलन भी किया जाना आवश्यक है।

जगन्नाथ मंदिर की विशेषताएं:

- ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंतवर्मन चोडागुंग देव ने करवाया था।
- पुरी में जगन्नाथ मंदिर को 'यमनिका तीर्थ' भी कहा जाता है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार, पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता 'यम' की शक्ति समाप्त हो गई है।
- इस मंदिर को "श्वेत शिवालय" कहा जाता था और यह चारधाम तीर्थ (बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम) का हिस्सा है।

- मंदिर के चार मुख्य द्वार हैं (पूर्व में 'सिंह द्वार', दक्षिण में 'अश्व द्वार', पश्चिम में 'व्याघर द्वार' और उत्तर में 'हस्ती द्वार') प्रत्येक द्वार नक्काशीदार है।
- इसके प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ या सूर्य स्तंभ है, जिसे मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में स्थापित किया गया था।

ओडिशा के अन्य महत्वपूर्ण स्मारक:

- कोणार्क सूर्य मंदिर (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल)
- तारा तारिणी मंदिर
- लिंगराज मंदिर
- उदयगिरि और खंडगिरि गुफाएं

Swadeep Kumar

YOJNA IAS